कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-05-07-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त बब्लू शर्मा को चोरी से सम्बंधित मुकदमे में मा0 न्यायालय द्वारा न्यायालय में बिताई गई अवधि व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 81/02 धारा- 380,411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त बब्लू शर्मा पुत्र स्व0 राजाराम शर्मा निवासी सी 7/14 चेतगंज वाराणसी को थाना-जैतपुरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 05-07-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 380,411 भा0द0वि0 में न्यायालय न्यायालय में बिताई गई अवधि (02 वर्ष 07 माह 25 दिन) व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 07 दिवस का अतरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी